उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-424/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.183-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(236)-2022

लखनऊः दिनांकः 09 जून, 2022

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-136/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(99)-2018 दिनांक 30 जनवरी, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् -:

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्ररुप जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस, दिनांक 1 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए अधित्यजित रहेगी।"

2. यह अधिसूचना तारिख 26 मई, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव